प्रश्न सं. [क्र. 3009]

परिशिष्ट 01

(1)

कार्यालय कलेक्टर जिला–खरगोन म.प्र.

क्रमांक/ 4610 /धर्मस्व/2017 खरगोन,दिनांक 28.04.2017

प्रति,

आयुक्त,
इन्दौर,संभाग इन्दौर

विषयः– विधानसभा क्षेत्र कसरावद अन्तर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यता रखने वाले मंदिरों के सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के प्रस्ताव भेजने बाबत ।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्रमांक/63/2/माफी/17 इन्दौर दिनांक 04.02.2017 ।

----000----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग,श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक/776 दिनांक 18.02.2016 से श्री सचिन यादव, माननीय विधायक,कसरावद के पत्र की छायाप्रति भेजकर उनके विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत मंदिर/धर्मशाला और घाटों के निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव शासन को भेजकर अवगत कराने हेतु लिखा गया है । उनके पत्र में यह भी लिखा है कि प्रकरण का परीक्षण कर यदि मंदिर शासन संधारित हो तो प्रस्ताव प्रेषित किये जावे ।

श्री सचिन यादव माननीय विधायक द्वारा माननीय मंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को प्रेषित पत्र में निम्नलिखित मंदिरों के सौंदर्यीकरणएवं जीर्णोद्धार हेतु राशि की मांग की गई है।

1– श्री पानवा माता मंदिर,ग्राम पानवा तहसील कसरावद ।
2– श्री शालिवाहन मंदिर, ग्राम मुबारकाबाद तहसील कसरावद ।
3– श्रीराम मंदिर, ग्राम कठोरा तहसील कसरावद ।
4– श्री माता मंदिर ग्राम सगुर तहसील भीकनगांव ।

उपरोक्तानुसार मंदिरों के प्रस्ताव मय स्टीमेट के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/5523/धर्मस्व/16 दिनांक 09.06.2016 द्वारा प्रेषित किये गये थे । जिस पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक/338/ दिनांक 16.06.2016 से निम्नलिखित बिन्दुओं की पूर्णता का निर्देश प्राप्त हुआ ।

1– देव स्थान शासन संधारित (व्यवस्थापक कलेक्टर) है के संबंध में प्रमाण पत्र ।
2– प्रस्तावित देव स्थान के वर्तमान स्थिति के छायाचित्र ।
3– प्रस्तावित देव स्थान की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रारूप में ।
4– देव स्थान के प्रस्तावित निर्माण कार्य के ड्राईग/डिजाईन प्रस्ताव ।

उक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर भेजने के पश्चात पुनः श्रीमान के पत्र क्रमांक/63/2/माफी/17 दिनांक 04.02.2017 से मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–3–8/2011/छः भोपाल दिनांक 12 अक्टूबर,2011 द्वारा शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार प्रस्ताव भेजने के पूर्व परीक्षण के निर्देश दिये है। उक्त निर्देशो के अनुकम में अनुरोध है कि :–

O/C

निरन्तर.......(2)

मंदिर का नाम एवं स्थान	राजस्व अभिलेख की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर संधारित रजिस्टर मे उल्लेख
1– श्री पानवा माता मंदिर, ग्राम पानवा तहसील कसरावद विधानसभा क्षेत्र कसरावद	निजी भूमि स्वामित्व की भूमि पर मंदिर स्थापित है।	कलेक्टर संधारित लिखा है किन्तु आय व्यय का संधारण कलेक्टर के प्रतिनिधि तहसीलदार द्वारा नही किया जाता है, पुजारी भी प्राइवेट है। उसे शासन से कोई राशि नही दी जाती है। मंदिर मे आने वाला चढावा शासन मे जमा नहीं होता है।आडिट कभी नही हुआ है।
2– श्री शालिवाहन मंदिर, ग्राम मुबारकाबाद तहसील कसरावद विधानसभा क्षेत्र कसरावद	निजी भूमि स्वामित्व की भूमि पर मंदिर स्थापित है।	कलेक्टर संधारित लिखा है किन्तु आय व्यय का संधारण कलेक्टर के प्रतिनिधि तहसीलदार द्वारा नही किया जाता है, पुजारी भी प्राइवेट है। उसे शासन से कोई राशि नही दी जाती है। मंदिर मे आने वाला चढावा शासन मे जमा नहीं होता है।आडिट कभी नही हुआ है।
3– श्रीराम मंदिर, ग्राम कठोरा तहसील कसरावद विधानसभा क्षेत्र कसरावद	आबादी भूमि में बना है खसरे में आबादी लिखा है।	व्यवस्थापक कलेक्टर नहीं है न हि अभिलेख मे दर्ज है।
4– श्री माता मंदिर ग्राम सगुर – भगुर तहसील भीकनगांव विधानसभा क्षेत्र कसरावद	ग्राम आबादी में बना है खसरे में आबादी लिखा है।	व्यवस्थापक के रूप में कलेक्टर दर्ज नहीं है। न हि कोई देख – रेख कलेक्टर द्वारा की जाती है।

अतः उपरोक्त वर्णित चारों मंदिर निजि अथवा आबादी भूमि पर स्थित है। मंदिर शासकीय भूमि पर नहीं होने से इनके सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार हेतु राशि आबंटित करने के संबंध में शासन स्तर से निर्णय लेने हेतु प्रकरण अग्रेषित करना चाहेंगे।

28/4/17
(अशोक कुमार वर्मा)
कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म.प्र.)

o/c

पृ.क्रमांक 4611 /धर्मस्व/2017 खरगोन,दिनांक 28 /04/2017

प्रतिलिपिः–

1– निज सचिव,माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन,खेल और युवा कल्याण,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग कक्ष क0–540, पांचवीं मंजिल मंत्रालय,वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/776/दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2– प्रमुख सचिव,म.प्र.शासन,धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग,मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

28/4/17
कलेक्टर,
जिला–खरगोन(म.प्र.)

o/c